

वध हेतु जा रहे 02 राशि गोवंश व 01 अदद पिकअप, 01 अदद बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रामनगर बार्डर पर वध हेतु ले जाते हुए गौवंश से लदी एक अदद मैजिक पिकअप बरामद किया गया तथा 03 नफर गौ तस्कर क्रमशः 1. कमरुद्दीन उर्फ करिया पुत्र युनुस निवासी चकलाल चन्द थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. समीर पुत्र इस्तेयाक अहमद निवासी चुनुगपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ तथा 3. अमित राय पुत्र अजय कुमार राय निवासी तरौका थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 15.12.2025 को समय करीब 20.19 बजे को गिरफ्तार किया गया पुछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बरामदशुदा गौवंश को बिहार वध हेतु ले जाने की बात बतायी गयी। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0न्यायालय/न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 262/25 धारा धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण

1. कमरुद्दीन उर्फ करिया पुत्र युनुस निवासी चकलाल चन्द थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. समीर पुत्र इस्तेयाक अहमद निवासी चुनुगपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. अमित राय पुत्र अजय कुमार राय निवासी तरौका थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

वांछित नाम पता अभियुक्तगण

1. दीपक यादव पुत्र सिद्धू यादव निवासी उमनपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण

1. 02 राशि गौवंश
2. 01 अदद मैजिक पिकअप नं0 UP50DT8712

3. 01 अदद बुलेट मोटर साईकिल नं0 UP54AD8181

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. उ0नि0 श्री कैलाश प्रसाद थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. उ0नि0 श्री अमरनाथ त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
4. का0 गुलशन साहू थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

गोतस्करी से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर न्यायालय चौकी के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से मु0अ0सं0 259/25 धारा-3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रितिक कुमार राय उर्फ चंचल राय पुत्र ओम प्रकाश राय साकिन बनहरा थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को दिनांक 15.12.2025 को समय करीब 17.30 बजे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण

2. मु0अ0सं0 259/25 धारा-3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्तगण

1. रितिक कुमार राय उर्फ चंचल राय पुत्र ओम प्रकाश राय साकिन बनहरा थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय त्रिपाठी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. हे0का0 राजबहादुर यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
4. का0 संजीव सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अर्न्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अर्न्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दिनांक 16.12.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर औसतपुर बार्डर के पास से मु0अ0सं0 151/25 धारा 137(2), 65(1) 87 बी.एन.एस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित जैनी उर्फ ज्ञानी पुत्र राजेन्द्र राम निवासी चकतगे सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बाल अपचारी का विवरण-

1. जैनी उर्फ ज्ञानी पुत्र राजेन्द्र राम निवासी चकतगे सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत अभियोग-

1. मु151 0सं0अ0/25 धारा 137(2), 65(1) 87बी.एन.एस व 6/एल5पाक्सो एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मुन्दू भारती थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
2. का0 मुकेश कुमार सरोज थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अर्न्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा महिला को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अर्न्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा

अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय सिंह के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 16.12.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकडीकोल मोड से खजुहा की तरफ 100 मीटर आगे से मु0अ0सं0 200/25 धारा 137(2), 87 बी.एन.एस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रशान्त यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव सा0 खजुहा (सेमरा) थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. प्रशान्त यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव सा 21 थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र (सेमरा) खजुहा 0 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. मु200 0सं0अ0/25 धारा 137(2), 87बी.एन.एस थाना मधुबन जनपद मऊ ।
गिरफ्तारी का स्थान व समय- सिकडीकोल मोड से खजुहा की तरफ _100 मीटर आगे समय

बरामदगी का विवरण – लड़के के साथ ही आज अपहृता लड़की की बरामदगी की गयी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 दिलीप कुमार पटेल
2. का0 पंकज यादव
3. म0का0 पूनम

03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 अदद चोरी की बकरी, 01 अदद नाजायज चाकू तथा चोरी का माल बेचकर 179000 रुपये नगदी बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा उ0नि० नितेश कुमार, उ0नि0 अनिकेत सिंह मय हमराह हे०का0 राजकुमार पाल हे०का0 धनन्जय पाण्डेय का0 आशीष सिंह, का0 शिवबच्चन के द्वारा थाना कोपागंज जनपद मऊ पर

पंजीकृत मु0अ0 सं0-377/25 धारा 303(2) में हुई चोरी हुई बकरिया व अपराधियों की पतारसी सुरागरसी व गिरफ्तारी में देईधान बगीचे से इरशाद पुत्र जहाँगीर निवासी भरवूपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ 2. मु0 शारिक पुत्र शकील निवासी भरपू पुरा संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली वरपर मऊ 3. पावे पुत्र खुद निवासी सरवां चट्टी थाना सायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से 02 अदद चोरी की बकरियां व एक अदद नाजायज चाकू तथा 179000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया उक्त प्रकरण में धारा 317(2) BNS व 4/25 A. Act की बढ़ोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. इरशाद पुत्र जहाँगीर निवासी भरवूपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ
2. मु0 शारिक पुत्र शकील निवासी भरवूपुरा संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली जनपद मऊ
3. परवेज पुत्र खुर्शीद निवासी सरवां यही थाना सरायतखन्सी जनपद मऊ

बराहदगी-

1. 02 अदद चोरी की बकरियां।
2. एक अवद नाजागज चाकू।
3. 17900 रुपये नगद (चोरी का माल बेचकर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. उ0नि0 नितेश कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. . हे0का0 राजकुमार पाल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. हे0का0 धनन्जय पाण्डेय थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. का0 आशीष सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. का0 शिवबच्चन यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 16.12.2025 को थाना

कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. मो0 इस्लाम पुत्र ताहिर 2. हामिद पुत्र ताहिर निवासीगण मो0 छितनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 40,000/- रु0 कुल धनराशि (चालीस हजार) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी कुल धनराशि 40,000 (चालीस हजार) रुपये, पीडित बालगोविंद यादव पुत्र रामलगन यादव निवासी पड़ेरुआ थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 40,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 के अर्थ दण्ड से हुआ दंडित -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जे0एम0 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 16.12.2025 को मु0अ0सं0 166/2013 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम व 3/25 उत्तर प्रदेश लकड़ी और वन्य उपज अधिनियम 1978 थाना घोसी जनपद मऊ में दोषसिद्ध रमेश शर्मा पुत्र रामचीज शर्मा निवासी इस्माइलपुर धधीला थाना भीमपुरा जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 के अर्थ दण्ड दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।